मनमानी ज्यादातर सर्वर डाउन होने के नाम पर ठप रहता है काम

साहबों का भोजन अवकाश, इंतजार में खड़े उपभोक्ता

खाली पड़ी कुर्सी

इंतज़ार में खड़े नागरिक

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर नगर में सिविल लाइन स्थित मुख्य डाकघर में कर्मचारी अपनी मर्जी के मालिक बन चुके है। बात एक, दो दिनों की नहीं बल्कि रोज़ की है जब मध्यान भोजन अवकाश के बाद कर्मचारी अपनी कुर्सी पर अपने समय के हिसाब से आते-जाते हैं। इस कारण यहां रुपयों के लेनदेन के साथ ही अन्य कार्यों के लिए आने वाले नागरिक परेशान होते रहते हैं। बता दे कि सुबह 10 बजे से दफ्तर खुलने का समय निर्धारित होने के बावजूद कर्मचारी अपने वक़्त पर कुर्सियों पर पहुंचते है। ऐसे में नागरिक परेशान होते रहतें है। वही ज्यादातर समय काउंटरों पर बैठें कर्मचारी कंप्यूटर, प्रिंटर खराब होने के साथ सर्वर डाउन होने का हवाला देते फिरते है।

आराम से आते है साहब

गुरुवार को मध्यान भोजन अवकाश के बाद दोपहर दो बजे काउंटर खुलने थे, जिसके इंतजार में नागरिक यहां पौने दो बजे से ही पहुंचने लगे थे, कोई किश्त जमा करने जा रहा था, तो कोई रूपए निकालने, तो कोई अन्य कार्य से। लेकिन कर्मचारियों के आने का समय हो जाने के बावजूद भी काउंटर की कुर्सी पर कोई नहीं पहुंचा था, लोग एक-दूसरे से पूछते नजर आ रहे थे। डाकघर का हॉल नागरिकों से खचाखच भरा था, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं रहता है। ऐसे में नागरिक परेशान होते है।

सर्वर डाउन है....

डाकघर के उपभोक्ता राजेश सिंह, संजीव श्रीवास्तव, अजय, अखिलेश जैन और आदेश आदि ने बताया कि कई समय से शहर के डाकघरों में यह समस्या बनी हुई है। सुबह 10 बजे से खुलने का समय होने के बावजूद कर्मचारी अपने समय से आते जाते हैं। वहीं शाम चार बजे तक कार्य का समय है, लेकिन कई बार सर्वर नहीं होने का हवाला दे कर समय से पहले ही काउंटर से उठकर चले जाते हैं। ऐसे में दूर-दूर से यहां आने वाले नागरिक परेशान होते हैं।

एमबीए छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने एमबीए के 29 छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का राहतकारी आदेश पारित किया है। मामला एमबीए सत्र 2025-26 की काउंसलिंग से संबंधित था। याचिकाकर्ता निजी महाविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल के पोर्टल में तकनीकी त्रुटि अंतर्गत ओटीपी प्राप्त न होने के कारण 42 छात्रों को नान-रिपोर्टेड दर्शा दिया गया था।

दरअसल, याचिकाकर्ता महाविद्यालय को 11 सितंबर 2025 को ही संबद्धता प्राप्त हुई थी। साथ ही 13 सितंबर 2025 को काउंसलिंग सूची में शामिल किया गया। इस वजह से महज एक दिन का समय शेष रह गया था। इस दौरान 42 छात्रों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ।

हाईकोर्ट में शिशु का भ्रूण लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता पर कोर्ट नाराज

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कोर्ट रूम में शिशु कर भ्रूण लाने वाले याचिकाकर्ता की हरकत पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट रूम में गर्भपात वाले शिशु भ्रूण को लाना सर्वथा अनुचित और अवैधानिक है। दरअसल, शिशु भ्रूण जो इंसान का शरीर है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के नियमों के अनुरूप ही हैंडल और डिस्पोज किया जाना चाहिए। कोर्ट रूम जैसे गरिमामय सार्वजनिक स्थल पर ऐसे अवशेषों को बिना अनुमति के ले जाना और प्रदर्शित करना न सिर्फ नियत प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि प्रथम दृष्ट्या यह भारतीय न्याय संहिता- 2023 के तहत सजा के रूप में मनुष्य के शव का अपमान करने जैसा है। ऐसा व्यवहार कोर्ट की मर्यादा और गरिमा को भी ठेस पहुंचा सकता है।

उक्त तल्ख टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि वह भविष्य में इस कोर्ट या किसी दूसरे ज्यूडिशियल फोरम या पब्लिक अथारिटी के समक्ष ऐसा कृत्य पुनरावृत्त न करे। यह कृत्य न्यायिक कार्रवाई की गरिमा, डेकोरम और काम करने में रुकावट डालने की कोशिश है, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल रीवा निवासी दयाशंकर पांडे विगत नौ मार्च को शिशु का भ्रूण लेकर पहुंच गया था। दयाशंकर का आरोप था कि वह महानद्दा स्थित मारुति शोरूम में कार्य करता था। उस दौरान उसने 200 करोड़ रुपये का घपला उजागर किया, जिस कारण उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। दयाशंकर ने खुद पैरवी करते हुए कहा कि शोरूम से 200 करोड़ रुपये की वसूली की जाए और उसे 82 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा और मारुति कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने दलील दी कि याचिका पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के सामने पेश की गई कोई भी लिखित शिकायत याचिका के साथ रिकार्ड में प्रस्तुत नहीं की है। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों को साफ पानी भी नसीब नहीं

मूल्यांकन केंद्र में अव्यवस्था के कारण शिक्षक परेशान

नवभारत,जबलपुर। इस वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं के मूल्यांकन केंद्र के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चेरीताल चुना गया है। लेकिन प्रथम दिन से ही वहां अव्यवस्था देखने को मिल रही है। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें टूटे टेबल-कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, बाथरूम भी गंदे हैं और पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण सभी शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर महिला शिक्षिकाओं को अधिक परेशानी हो रही है।

अधिकारी डरा धमकाकर भेज रहे केंद्र

कई शिक्षकों ने बताया कि मूल्यांकन के लिए उन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा डरा- धमकाकर मूल्यांकन केंद्र पर भेजा जा रहा है। इतनी भीषण गर्मी में जहां पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं होता है। इसके अलावा अधिकारी वेतन कटौती का दबाव बना रहे हैं। जिससे शिक्षक खुलकर अपनी समस्याएं सामने नहीं ला पा रहे हैं।

आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के सदस्य देवेन्द्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, प्रशांत सोंधिया, नरेश शुक्ला, वीरेन्द्र सिंह चंदेल, एसपी बाथरे, मनोज सिंह निषाक, तुषरेन्द्र सिंह, नीरज कौरव, जवाहर लोधी, दिलराज झरिया, परशुराम तिवारी, अभिषेक वर्मा, रजनीश पांडे, राकेश ठाकुर, सुरेश दहिया, पंकज जयसवाल, योगेश कपूर, सतीश देशमुख और अंकित चौरसिया ने प्रशासन से मूल्यांकन केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है।

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के मरीज के पास मिलीं शराब की बोतलें

नवभारत,जबलपुर। बेहतर इलाज व्यवस्था और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के उद्देश्य से बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास से करीब 8 शराब की बोतलें मिलीं हैं। अस्पताल के न्यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती मरीज के पास शराब की बोतलें मिलने से पूरे वार्ड में हड़कंप मच गया और इस खबर ने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सेंध लगाई। मरीज के पास शराब की इतनी बोतलें मिलने के मामले ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़े किए कि जब अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती मौजूद है तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि अस्पताल के भीतर शराब की बोतलें आ गईं।

सुरक्षा कर्मी नहीं करते जांच

सूत्रों की माने तो मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा आने-जाने वाले लोगों की सख्ती से जांच नहीं की जाती। इसी वजह से कई लोग अस्पताल परिसर के अंदर तक

गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीली चीजें लेकर पहुंच जाते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि कई वार्डों में खुलेआम राजश्री गुटखा और तंबाकू का सेवन किया जाता है, जिससे अस्पताल का वातावरण भी प्रभावित होता है। साथ ही इनका कहना ये भी है कि यदि अस्पताल में नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो काफी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

जिसके पास मिली बोतल उसे कर दिया डिस्चार्ज

प्रबंधन की ओर से जिस मरीज के पास शराब की बोतलें मिलीं हैं उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस मरीज को लेकर अस्पताल के अधीक्षक ने नवभारत से ये कहा कि जिस मरीज के पास शराब की बोतलें मिलीं हैं उसे गुरूवार को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शराब की बोतलें मिलने के कारण मरीज को डिस्चार्ज किया गया कि वाकई में मरीज ठीक होकर अपने घर चला गया है। सूत्रों की माने तो अस्पताल के कर्मचारियों की संलिप्तता भी इसमें है जिस कारण इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है।

इनका कहना है

अस्पताल में भर्ती एक मरीज के बैग में कुछ शराब की बोतलें मिलीं हैं। पूछताछ में पता चला कि मरीज का अटैंडर बोतलें लेकर अस्पताल में गया था। गांव देहात के क्षेत्रों से अस्पताल में भर्ती होने आए एक एक लोगों का बैग चैक करना संभव नहीं होता है फिर भी सुरक्षा कर्मियों को चैकिंग के निर्देश दिए गए हैं।

डॉ. जितेंद्र गुप्ता
अधीक्षक
सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जबलपुर

एक नजर में

जॉय एजुकेशन सोसाइटी को वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने नगर निगम ने जारी किया नोटिस

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शहर की विकास प्रक्रिया और सरकारी संपत्तियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के तहत, नगर निगम ने जॉय एजुकेशन सोसाइटी को लीज पर दी गई भूमि के संबंध में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवंटित भूमि का उपयोग तय की गई शैक्षणिक शर्तों के अनुसार ही हो रहा है। सोसाइटी को अपना पक्ष रखने और सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया गया है। नगर निगम के संपदा विभाग के अनुसार, यह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है जहाँ समय-समय पर लीज शर्तों की समीक्षा की जाती है। सोसाइटी के पदाधिकारियों को 13 मार्च 2026 को आयुक्त कार्यालय में आमंत्रित किया गया है, ताकि वे अपने कार्यों और दस्तावेजी प्रमाणों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर सकें। 13 मार्च तक यदि वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो नगर निगम द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है : कलेक्टर

नवभारत, जबलपुर। गैस सिलेंडर को लेकर आ रही समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने उपभोक्ताओं को अनुरोध किया है कि वे अफवाहों से बचें। साथ ही कहा कि वे 25 दिन के बाद ही गैस की बुकिंग करें, ताकि वास्तव में जिन्हें जरूरत है, उन्हें गैस मिल सके। अनावश्यक बुकिंग करने से सर्वर पर लोड बढ़ता है और जरूरत वाले लोगों को परेशानी होती है।कलेक्टर ने कहा कि गैस वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की समस्या न हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की अफवाह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्र व राज्य सरकार बढ़ाए सिलेंडर की भंडारण क्षमता

नवभारत,जबलपुर। देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की बढ़ती कमी और कालाबाजारी को लेकर ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ने सरकार से तत्काल कठोर कदम उठाने की मांग की है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोलंके ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन उसी अनुपात में डीलरशिप, बॉटलिंग प्लांट और भंडारण क्षमता नहीं बढ़ाई गई। वर्तमान में एक गैस डीलर पर लगभग 5 से 6 हजार उपभोक्ताओं का भार है। उन्होंने कहा कि देश में कम से कम 6-7 महीने के गैस भंडारण की व्यवस्था और बॉटलिंग प्लांट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। सोलंके ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और वाहनों में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और अतिरिक्त शुल्क न देने की अपील भी की गई है।

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग

नवभारत,जबलपुर। कायस्थ महासभा चित्रगुप्त महाराज सेवा ट्रस्ट ने गैस की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। महासभा के पदाधिकारियों सहेन्द्र श्रीवास्तव, अमेन्द्र नारायण श्रीवास्तव, पियूष वर्मा, अखिलेश ब्यौहार, विनोद श्रीवास्तव और चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव ने प्रशासन से गैस वितरण केंद्रों की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। संगठन ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे सप्लाई सेंटरों पर जाकर स्थिति का जायजा लें और आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए हस्तक्षेप करें।

एक टीआई लाइन अटैच, कई इधर से उधर, 25 को मिली निंदा की सजा

पुलिस अधीक्षक के बड़े फेरबदल से मचा हड़कंप

बदमाशों पर प्रभावी कार्रवाई धाराओं में ढिलाई, कार्य में बरती लापरवाही पर एक्शन

जबलपुर। गुंडा-बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने और प्रतिबंधात्मक धाराओं में ढिलाई बरतने और कार्य में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले थाना प्रभारियों पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने एक्शन लेते हुए थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया बल्कि दंडित भी किया है। दरअसल 18 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित क्राइम समीक्षा बैठक के बाद संतोषजनक कार्रवाई, लापरवाही सामने आने के बाद कप्तान ने पुलिस विभाग में कसावट लाने और अपराध नियंत्रण की दिशा में सख्त रुख अपनाते हुए एक टीआई को जहां लाइन अटैच किया है तो वहीं कई को इधर से उधर किया है। जबकि कार्य में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले जिले के 25 थाना प्रभारियों को निंदा की सजा भी दी गई है। इस सामूहिक कार्रवाई से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

आंकड़ों की तुलना में पिछड़े थाने

समीक्षा बैठक में 1 जनवरी से 15 फरवरी 2025 की तुलना में वर्ष 2026 की इसी समान अवधि के दौरान हुई प्रतिबंधात्मक और लघु अधिनियम की कार्यवाहियों का विश्लेषण किया गया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की समीक्षा में पाया गया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल इन थानों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। कार्यवाही संतोषजनक नहीं होने पर दंडित किया गया है।

इन्हें किया गया दंडित

कार्यवाही की सूची में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के थाना प्रभारी शामिल हैं। पनागर टीआई विपिन ताम्रकार, लार्डगंज थाना प्रभारी नवल आर्य, मदनमहल थाना प्रभारी धीरज राज, बेलबाग थाना प्रभारी जितेन्द्र पाटकर ,सिविल लाईन थाना प्रभारी अनूप कुमार नामदेव,गोहलपुर थाना प्रभारी रितेश पाण्डेय, घमापुर थाना प्रभारी इन्द्रा ठाकुर, माढोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र पवार, ग्वारीघाट थाना प्रभारी हरिकिशन आटनेरे,गोराबाजार संजीव त्रिपाठी,भेडाघाट कमलेश चौरिया,चरगवां अभिषेक प्यासी,पाटन गोपिन्द्र सिंह राजपूत,कटंगी पूजा उपाध्याय, शहपुरा प्रवीण धुर्वे,बेलखेडा

लवकेश उपाध्याय, सिहोरा विपिन सिंह,खितौला रमन सिंह मरकाम, मझौली नेहरू सिंह खण्डाते, मझगवां हरदयाल सिंह उइके, गाजीवती पुषाम थाना प्रभारी गोसलपुर, मानस द्विवेदी थाना प्रभारी कोतवाली, पुष्पेन्द्र पटले थाना प्रभारी केण्ट, राजेन्द्र मर्सकोले थाना प्रभारी विजयनगर, अनिल पटेल थाना प्रभारी बरेला को उनके लचर प्रदर्शन के लिए आधिकारिक रूप से निंदा की सजा सुनाई गई है। निलेश दोहरे थाना प्रभारी बरगी को उनके कार्य में सुधार लाने सख्त चेतावनी दी गई है।

सही धाराओं में दर्ज नहीं की एफआईआर, चौकी प्रभारी पर भी कार्रवाई

मांडवा में फायरिंग, तोड़फोड़ के मामले में सही धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने पर चौकी प्रभारी रामपुर को 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जानकारी के अनुसार मांडवा क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने मामले की गंभीरता को दरकिनार करते हुए उचित कानूनी धाराओं का प्रयोग नहीं किया और एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती। मामले की शिकायत जब पुलिस अधीक्षक तक पहुँची, तो उन्होंने इसकी जाँच कराई। जाँच में चौकी प्रभारी का कृत्य लापरवाहीपूर्ण पाया गया। एसपी ने तत्काल प्रभाव से उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया।

दंड कार्रवाई के बाद हुआ फेरबदल

दंडित कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया हैं। बरेला थाना प्रभारी अनिल पटेल को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। जबकि यातायात थाने की जिम्मेदारी संभाल रहीं पूर्वा चौरसिया को सिविल लाइन थाने की कमान सौंपी गई है। घमापुर थाना प्रभारी इंदिरा ठाकुर का तबादला करते हुए उन्हें यातायात थाना गढ़ा भेजा गया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अनूप कुमार नामदेव को अब थाने से हटाकर साइबर सेल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बरेला की कमान आईपीएस शुभम सिंह को दी गई है।

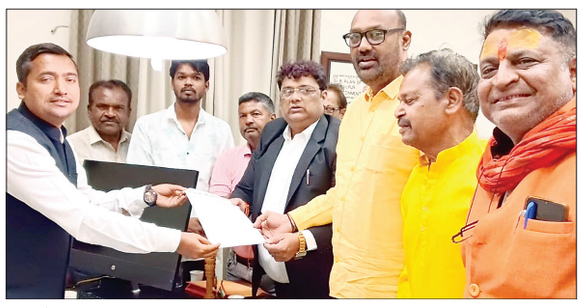

कैंट के व्यापारियों से वसूला जा रहा एक हजार गुना टैक्स

कैंट बोर्ड सीईओ से मुलाकात कर राहत देने की मांग

छावनी जन आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने की मुलाकात

नवभारत,जबलपुर। छावनी जन आंदोलन समिति के पदाधिकारियों द्वारा गुरूवार को कैंट बोर्ड सीईओ राजीव कुमार से मुलाकात कर उन्हें 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। जिस दौरान सीईओ ने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वे अगली बोर्ड बैठक में कोशिश करेंगें कि नियमानुसार सदर के व्यापारियों को उनकी मांगों के अनुरूप राहत दी जा सके।

इस संबंध में कैंट बोर्ड पूर्व उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे ने नवभारत को बताया कि सीजनल व्यापारियों से 1 हजार से बढ़ाकर 1800 रुपए कैंट बोर्ड द्वारा लिए जाने लगे हैं, वहीं सदर के व्यापारियों से 1 हजार गुना टैक्स वसूला जा रहा है।

ये हैं मुख्य मांगें

- कैंट सदर क्षेत्र के व्यापारियों से नियमानुसार 10 से 15 प्रतिशत टैक्स वसूला जाए।
- छोटे व्यापारियों के लिए हॉकर जोन बनाए जाएं।
- सीजनल व्यापारियों से 1 हजार रुपए वसूल किए जाएं।

चेतावनी लोक अदालत में मौका वरना होगी वैधानिक कार्यवाही, नगर निगम ने 25 बड़े बकायादारों की सूची की सार्वजनिक

46 करोड़ के बकायेदारों की सूची सार्वजनिक

नवभारत, जबलपुर। शहर के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर निगम ने राजस्व वसूली अभियान के तहत एक सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार नगर निगम ने शहर के ऐसे 25 बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक कर दी है, जिनसे लगभग 46 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि वसूल की जानी है। जारी सूची में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के बड़े नाम शामिल हैं।

इनसे इतना कर वसूला जाना है...

निगम प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक की गई सूची के मुताबिक भारत संचार निगम लिमिटेड जबलपुर निर्माणी से राशि रूपये 13,19,46,691, मुख्य कार्य पालन अधिकारी जबलपुर विकास प्रधिकरण जबलपुर/मुख्य कार्य पालन अधिकारी जबलपुर विकास प्रधिकरण जबलपुर स्कीम नं. 64 वसहा, दादा ठनठनपाल वार्ड क्रं.72, से 4,39,78,898, मण्डल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल ऑफिस 6 नं. प्लेटफार्म, डी.आर.एम. ऑफिस तक व्यवसायिक भवन, जवाहर लाल नेहरू वार्ड से 3,86,21,037, मुख्य कार्य पालन अधिकारी जबलपुर विकास प्रधिकरण जबलपुर/मुख्य कार्य पालन अधिकारी जबलपुर विकास प्रधिकरण जबलपुर खसरा नं. 1/1 से 145/15 तक, स्कीम नं. 65 बसहा, दादा ठनठनपाल वार्ड से 2,42,09,880, मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल्वे, बजरंग कालोनी, आवासीय कालोनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से 2,27,44,687, महाकौशल शहीद स्मारक भवन ट्रस्ट 1104, गोल बाजार, भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड से 2,18,30,451, मण्डल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल, मण्डल

रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल, गोकुलदास धर्मशाला, सुभाषचन्द्र बेनर्जी वार्ड से 2,17,60,612, भारत संचार निगम लिमिटेड सी टी ओ कम्पाउंड 1349, 1,68,79,849, सेन्ट्रल रेल्वे माल गोदाम कछपुरा कमला नेहरू नगर वार्ड 1,55,24,317, कारबोरेन्डम यूनिवर्सल लि. सीमेन्ट फैक्ट्री श्री.के. श्रीनिवासन अधारताल, 1,35,73,281, ओ.के.फ्रूड प्रा. लि. प्रोपराईटर राजेश गुप्ता, औद्योगिक क्षेत्र रिछाई प्लाट नं. 86, 87, से 1,11,06,337, सचिव कृषि उपज मंडी/सचिव 1, कृषि उपज मंडी, जयप्रकाश नारायण वार्ड ये 1,07,82,503, उदयपुर ब्रेवरेज प्रा.लि. प्रोपराईटर विकास मित्तल औद्योगिक क्षेत्र रिछाई 1,05,93,048, भारत सरकार दूरसंचार निगम अभियंता यातायात थाने के पास, सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड 1,03,05,834, प्रीस्टेज क्रांकीट औद्योगिक पोल फैक्ट्री, पोल फैक्ट्री अधारताल, 1,02,72,633, मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर हाउबाग, जार्ज डिसिल्वा, 79,63,746, मण्डल रेल प्रबंधक मदन महल स्टेशन, नरसिंह वार्ड, 68,81,915, मण्डल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल/मण्डल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल 12, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से 62,21,177, प्रताप चंद पिता फकीर चंद आनंद पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड से 61,93,933, बालाजी एडिबल्स प्रा.लि. प्रोपराईटर रामगोपाल अग्रवाल औद्योगिक क्षेत्र रिछाई प्लाट नं. 95,96,99,100,92, से 56,48,379, अधारताल मेदा मिल पि,पि, बंसल अधारताल, से 56,20,707, मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल जबलपुर, प्रकाश कालोनी आवासीय कालोनी, सुभाषचन्द्र बेनर्जी वार्ड से 55,75,505, जबलपुर स्टील प्रा.लि, अजय खंडेलवाल अधारताल, 52,38,156, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड आवासीय परिसर विकास नगर/भारत 1, योजना क्र-5 विकास नगर, महाराजा अग्रसेन वार्ड से 52,18,683, कमर्शियल इंजी एण्ड बॉडी बल्डर्स प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र रिछाई प्लाट नं. 21+22 व 33+34, से 50,36,732 राशि वसूल किया जाना है।

14 मार्च आखिरी अवसर

निगमायुक्त ने बताया है कि 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत इन बकायादारों के लिए अंतिम अवसर है। यदि इस दिन तक बकाया राशि जमा नहीं की जाती है,

रेलवे मजिस्ट्रेट ने की औचक टिकट चेकिंग

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेल मंडल में रेलवे नियमों के प्रभावी पालन तथा बिना टिकट एवं अनाधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश सगर द्वारा जबलपुर से सतना के मध्य विशेष औचक टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा महाकौशल एक्सप्रेस में जबलपुर से सतना के बीच विशेष चेकिंग की गई। प्राप्त शिकायतों के अनुसार अप-डाउन करने वाले कुछ यात्रियों द्वारा एसी एवं स्लीपर कोचों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने की सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की गई। चेकिंग के दौरान मजिस्ट्रेट महोदय के साथ सी.टी.आई. एस.एस.एच. आब्दी के नेतृत्व में टिकट चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम भी मौजूद रही। जांच के दौरान कुल 47 यात्री बिना टिकट तथा 73 यात्री अनाधिकृत रूप से यात्रा करते हुए पाए गए। इस प्रकार कुल 120 यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रेलवे द्वारा ?59,680 का जुर्माना वसूल किया गया वही सतना से वापसी के दौरान ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में भी विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया।